भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1217

11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः- कृषि में वर्षा पर निर्भरता और जलवायु अनुकूलन

1217. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में कितने प्रतिशत कृषि भूमि सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर है और विगत बीस वर्षों के दौरान इसके विकास का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विशेषकर अनियमित मानसून से प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा पर निर्भरता को कम करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा वर्षा पर निर्भरता कम करने और वैकल्पिक सिंचाई विधियों को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार कृषि में जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न चुनौती से निपटने के लिए अनुकूलन कार्यनीतियों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर प्रकाशित नवीनतम 'भूमि उपयोग सांख्यिकी एक नजर: 2022-23' के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 2003-04 से 2022-23 तक सकल असिंचित क्षेत्र का ब्यौरा अनुबंध पर दिया गया है।

प्रकाशन के अनुसार, वर्ष 2003-04 के दौरान सकल असिंचित क्षेत्र 111.619 मिलियन हेक्टेयर था जो घटकर 97.063 मिलियन हेक्टेयर रह गया है। कृषि वर्ष 2022-23 के दौरान सकल फसली क्षेत्र पर सकल असिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 44.2% है, इस प्रकार शेष 55.8% सकल फसली क्षेत्र सिंचित क्षेत्र के तहत लाया जाएगा।

(ख) से (ड़): सरकार ने वर्षा सिंचित जल पर निर्भरता कम करने, सिंचाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने, टिकाऊ जल प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा देने और जलवायु-अनुकुल कृषि प्रणालियों को विकसित करने के लिए कई पहलों का कार्यान्वयन किया है, ताकि वर्षा पर निर्भरता कम हो और अनियमित मानसून के प्रभावों को खासकर अनियमित मानसून के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में कम किया जा सके। प्रमुख उपायों में शामिल हैं:

I. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई): वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई पीएमकेएसवाई का उद्देश्य सिंचाई कवरेज और जल-उपयोग दक्षता को बढ़ाना है। यह हर खेत को सिंचाई

प्रदान करने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने और जल-उपयोग दक्षता में सुधार करने पर केंद्रित है। इस योजना में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी जैसे घटक शामिल हैं, जो सिंचाई के इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की दिशा में कार्य करते हैं।

II. अटल भूजल योजना: यह समुदायिक भूजल प्रबंधन कार्यक्रम उन सात भारतीय राज्यों में भूजल प्रबंधन में सुधार करना चाहता है, जहाँ भूजल में कमी की दर बहुत ज़्यादा है। यह टिकाऊ जल उपयोग पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करता है और अनियमित मानसून पैटर्न के विरूद्ध अनुकुल बनाने का लक्ष्य रखता है।

III. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई): आरकेवीवाई के तहत, राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि वे कृषि पर असामान्य मानसून के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए 5 से 10% निधि आवंटित करें। इसमें जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, नमी संरक्षण पद्धतियों को बढ़ावा देना और सिंचाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करना शामिल है।

IV. जलवायु-अनुकूल फसल किस्मों का संवर्धन: सरकार जलवायु-अनुकूल बीज किस्मों को विकसित एवं सवंर्धित कर रही, ताकि वे अनियमित मौसम पैटर्न का सामना कर सकें। उदाहरण के लिए, फरवरी 2025 में, दलहन फसलों और कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए छह वर्ष के कार्यक्रम की घोषणा की गई थी, जिसमें आयात पर निर्भरता कम करने और जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रति अनुकुलता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

V. जैविक खेती पहल: परम्परागत कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) जैसे कार्यक्रम जैविक खेती के तरीकों को प्रोत्साहित करते हैं, जिसके लिए प्राय: कम पानी की आवश्यकता होती है और यह जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक अनुकुलित होता है। यह पहल किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने में सहायता करती है।

VI. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) का वाटरशेड विकास घटक देश में वर्षा सिंचित और बंजर भूमि के विकास के लिए है। अन्य बातों के साथ-साथ, की जाने वाली गतिविधियों में रिज क्षेत्र उपचार, जल निकासी लाइन उपचार, मृदा और नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरी की स्थापना, चारागाह विकास, परिसंपत्ति-रहित व्यक्तियों के लिए आजीविका आदि शामिल हैं। इन हस्तक्षेपों के माध्यम से डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई बेहतर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रति किसानों की बेहतर तन्यकता के माध्यम से सतत विकास सुनिश्चित करना चाहता है। इन पहलों का सामूहिक उद्देश्य सिंचाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, टिकाऊ जल प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा देना और वर्षा पर निर्भरता को कम करने और अनियमित मानसून के प्रभावों को कम करने के लिए जलवायु-अनुकुल कृषि प्रणालियों को विकसित करना है।

अनुबंध

कृषि में वर्षा आधारित निर्भरता और जलवायु अनुकूलन के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1217 के भाग (क) के उत्तर में विवरण 11/02/2025 को उत्तरार्थ ।

(हजार हेक्टेयर)

साल	सकल फसली क्षेत्र	सकल असिंचित क्षेत्र
2003-04	189661	111619
2004-05	191103	110025
2005-06	192737	108458
2006-07	192381	105629
2007-08	195223	107165
2008-09	195328	106433
2009-10	189188	104101
2010-11	198128	108810
2011-12	195546	103614
2012-13	194455	101675
2013-14	201300	105030
2014-15	198285	100439
2015-16	198122	100368
2016-17	201158	101538
2017-18	200876	99409
2018-19	201179	96469
2019-20	211359	98916
2020-21	216107	97173
2021-22	219158	98778
2022-23	219357	97063

स्रोत: भूमि उपयोग सांख्यिकी एक नजर में: 2022-23

*****